# NHRC seeks probe into organ trafficking racket in Haryana

https://www.editorji.com/india-news/haryana/nhrc-seeks-probe-into-organ-trafficking-racket-in-haryana-1712826827130

Days after Haryana Police said it busted an alleged kidney racket during raids in Rajasthan, the NHRC has sought a probe into the illicit transplant operations in two states.

The NHRC has sought a probe into an organ trafficking racket in Haryana and Rajasthan over a media report on alleged illicit transplant operations in the two states.

According to the report, the Health department of Haryana conducted a raid at a hotel in Gurugram Sector-39 and found a Bangladeshi national who had undergone a kidney removal procedure at a hospital in Jaipur under "suspicious" financial arrangements.

The Bangladeshi national, believed to have no "blood relation" with the recipient, admitted to participating in the transplant procedure for a financial reward of Rs 4 lakh in Bangladeshi currency.

The National Human Rights Commission (NHRC), taking suo motu cognisance of the report, noted that if these allegations are true, they constitute a grave violation of human rights and contravene India's Transplantation of Human Organs Act, 1994, as amended in 2011.

The NHRC has issued notices to the chief secretaries of Haryana and Rajasthan and the directors general of police of both the states, requesting a comprehensive report within four weeks.

The report should detail the current status of police investigations, including any arrests made in connection with the organ trafficking case.

It has also sought information on the measures being implemented or planned to combat the illicit trade in human organs and ensure swift legal action against those involved.

# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा और राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस

https://jantaserishta.com/local/haryana/national-human-rights-commission-sent-notice-to-haryana-and-rajasthan-government--3215564

गुरुग्राम: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अंग प्रत्यारोपण रैकेट हरियाणा और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें चार सप्ताह के अंदर इस रैकेट का भंडाफोड़ करने से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट में मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया है कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कथित तौर पर हरियाणा और राजस्थान राज्यों में अंग प्रत्यारोपण रैकेट का भंडाफोड़ किया है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम के सेक्टर-39 स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की. वहां टीम को पता चला कि एक बांग्लादेशी नागरिक वित्तीय सौदे के तहत अपनी किडनी दान करने के बाद जयपुर के एक अस्पताल में चिकित्सीय आराम कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। आयोग ने पाया कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। भारत में मानव अंगों के अवैध व्यापार के विषय से निपटने के लिए विशिष्ट कानून है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित। यह वर्ष 2014 में लागू हुआ। हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों ने इसे अपनाया भी है।

आयोग ने हरियाणा और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिवों और दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, गिरफ्तारियों और अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने यह भी जानकारी मांगी है कि मानव अंगों के अवैध और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए दोनों सरकारों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश में मोबाइल की दुकान चला रहा था। उसे झारखंड के रांची स्थित एक एजेंट ने भारत भेजा था। उनकी किडनी के लिए बांग्लादेशी मुद्रा में रु. सौदा 4 लाख में तय हुआ. उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि मरीज के साथ उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है और उन्होंने केवल वित्तीय लाभ के लिए किडनी दान की है।

# Human rights body's notice to Rajasthan, Haryana DGPs on organ transplant racket

https://www.indiatoday.in/india/story/organ-transplant-racket-rajasthan-haryana-jaipur-nhrc-notice-2526057-2024-04-11

The NHRC took suo moto cognisance of an illegal organ transplant racket spread across Rajasthan and Haryana and issued notices to the chief secretaries and DGPs of both the states.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo moto cognisance of an illegal organ transplant racket spread across Rajasthan and Haryana and issued notices to the chief secretaries and DGPs of both states.

The commission, in its notice, stated that the Health department of the Haryana government had exposed an illegal organ trade racket spread across Rajasthan and Haryana.

The commission further said that authorities in Haryana had organised a raid at a hotel in Sector 39 in Gurugram, where a Bangladeshi citizen claimed that his kidneys were removed during a surgery performed at a hospital in Jaipur, after which he was sent to the hotel for daycare.

"According to the media report, the Bangladeshi national told the officers that he is running a mobile shop in Bangladesh, and was sent to India under a fake passport, by one agent, Mohammed Murtaza Ansari, based in Ranchi," the NHRC stated.

The Commission said it is concerned about the illegal trade in human organs and, in particular, trade in kidneys, which often involves the exploitation of poor people and violation of their right to life.

The NHRC has also sought a detailed report on the matter, including the status of the FIRs filed, and if any arrests have been made.

The illegal organ transplant racket came to the fore when officials from the anti-corruption bureau (ACB) in Rajasthan arrested a UDC posted at the state-run Sawai Man Singh hospital in Jaipur, and coordinators of two private hospitals earlier this month for allegedly forging no objection certificates (NOCs), which are requisite for organ transplants for donors and recipients.

# नाभा कॉलेज कैंपस में सुरक्षा में ढील, गैंगरेप के तीनों आरोपी थे बाहरी

https://jantaserishta.com/local/punjab/security-relaxed-in-nabha-college-campus-all-three-accused-of-gang-rape-were-outsiders-3215153

पंजाब : 18 वर्षीय दलित लड़की के साथ भयावह "सामूहिक बलात्कार" के मामले में नाभा के सरकारी रिपुदमन कॉलेज में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। 27 मार्च को दिनदहाड़े कॉलेज परिसर में हुए इस अपराध को तीन बाहरी लोगों ने अंजाम दिया, जो "हर दूसरे दिन कॉलेज आते थे"। इस घटना ने कॉलेज में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसमें करीब 3,000 छात्र हैं, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं।नाम न छापने की शर्त पर एक छात्र ने द ट्रिब्यून को बताया कि कैंपस में बाहरी लोगों का आना आम बात है। उन्होंने कहा, "आस-पास के इलाकों से युवा अक्सर परिसर में घुस आते हैं और इधर-उधर घूमते रहते हैं।" कॉलेज की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि गेट पर कुछ गार्ड तैनात थे, लेकिन वे शायद ही किसी को रोकते हैं या छात्रों के आईडी कार्ड की जांच करते हैं।

कॉलेज की प्रिंसिपल हरतेज कौर ने कहा: “एफआईआर दर्ज होने तक, हम परिसर में ऐसी किसी भी घटना से अनजान थे। कथित अपराध स्थल के बगल में एक गृह विज्ञान प्रयोगशाला है और एक परिचर आमतौर पर वहां मौजूद रहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना।जब उनसे कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “कॉलेज में छात्रों की संख्या 3,000 है। हमारे पास निजी सुरक्षा है, जो आउटसोर्स है।” द ट्रिब्यून से बात करते हुए, पीड़िता के पिता ने कहा, “दिहाड़ी मजदूर होने के बावजूद, मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरी बेटी उच्च शिक्षा जारी रखे। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित है और उसका वजन मात्र 32 किलोग्राम है। मैं उसे कभी भी कॉलेज वापस नहीं भेजूंगा।

“मैं एक दलित हूं और मेरे रिश्तेदार हमेशा उसके कॉलेज जाने पर आपत्ति करते थे। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटी एक अधिकारी बने। लेकिन उसके सपने खत्म हो गए हैं और मेरे भी।"पीड़िता अपने गांव से बाहर अपनी मौसी के पास रहने चली गई है। “वह टूट गयी है। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अजीब बात है कि कॉलेज में सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी उसके बचाव में नहीं आया, ”उसके पिता ने आरोप लगाया।

इस बीच, पुलिस ने एफआईआर में सख्त एससी/एसटी एक्ट भी जोड़ दिया है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (एनएचआरसी) ने भी घटना पर रिपोर्ट मांगी है.दविंदर, रवनीत सिंह और हैरी (अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया) के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। “तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। मैं मामले की निगरानी कर रहा हूं, ”पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा।डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने कहा कि एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, "मैंने नाभा एसडीएम और पटियाला पुलिस को घटना पर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।"